बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

सं0– म0 / स्था0अ0रा0(अ0)–01 / 2015–   पटना– 15 दिनांक–   / 2020

इस अधिसूचना के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए राज्यपाल के द्वारा बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्ती संशोधन नियमावली 2020 अधिसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(डा0 एन. सरवण कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक – म0 / स्था0अ0रा0(अ0)–01 / 2015–   / पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 / –
सरकार के सचिव

ज्ञापांक – म0 / स्था0अ0रा0(अ0)–01 / 2015–   / पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 / –
सरकार के सचिव

ज्ञापांक – म0 / स्था0अ0रा0(अ0)–01 / 2015–   / पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 / –
सरकार के सचिव

Government of Bihar

Animal and Fish Resources Department

File no. - Mo./Astha.A.Ra.(A.)-01/2015- In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to amend the Bihar Animal and Fisheries Resource (Fisheries) Service Recruitment Rules, 2007 constituted to regulate procedures for the recruitment and promotion in the Animal and Fisheries Resources (Fisheries) service namely :-

1. **Short title, and commencement** – (1) These rules may be called The Bihar Animal and Fish Resources (Fish) Service Recruitment (Amendment) Rules, 2020.

   (2) It shall extend to whole State of Bihar.

   (3) It shall come into force with immediate effect.

2. **Substitution at Rule 6 of the Bihar Animal and Fisheries Resources (Fisheries) Service Recruitment Rules, 2007. –**

   Rule 6 of the said Rules, 2007 shall be substituted by the following :-

   "6. Procedure of the Recruitment- (1)- For recruitment to the posts described in Sl.no.5 and 6 of the **Appendix-I**, the department, after calculating the vacancies on the basis of 1st April, shall send the requisition to the Bihar Technical Service Commission. Accordingly the advertisement will be issued by the Commission and the merit list shall be prepared in the following manner:-

   (a) Marks obtained for the educational qualification described for the direct recruitment in Para 7 of Sl. no. 5 and 6 of the **Appendix-I** 75 marks.

(b) On the basis of work experience of the employees appointed on contract basis for the work of agriculture and Fisheries sector in the Fisheries Directorate and subordinate offices or in other department of State Government or in the offices affiliated to the Government of Bihar-

25 marks.

(2) For educational qualifications, the work experience of the employees appointed on contract basis, calculation of marks shall be made in the following manner:-

(i) For the educational qualifications described in column-4, determination of marks to be given to the candidates shall be made by multiplying the percentage of marks obtained in the examination of the said courses by 0.75. Such as if 50% marks has been obtained by the candidates then 50x0.75=37.5 marks shall be given to him.

(ii) 5 marks for each working year maximum limit of which shall be 25 marks. For part of the year, proportionate marks will be added after multiplying the numbers of working days by 5 and then dividing it by 365.

3. Substitution of Rule 3(i) (iii) of the Bihar Animal and Fisheries Resources(Fisheries) Service Recruitment Rules 2007:-

Fisheries Development Officers /Junior Engineer.

4. Substitution of Rule 8 of The Bihar Animal and Fisheries Resources (Fisheries) Service Recruitment Rules, 2007:- Rule 8 of the said rules shall be substituted by the following:-

"8. Probation period indicated in Column 9 of the **Appendix-I** , shall be two years, which may be extended for a year for the reasons to be recorded in writing, if the service is not found satisfactory".

(b) On the basis of work experience of the employees appointed on contract basis for the work of agriculture and Fisheries sector in the Fisheries Directorate and subordinate offices or in other department of State Government or in the offices affiliated to the Government of Bihar-

25 marks.

(2) For educational qualifications, the work experience of the employees appointed on contract basis, calculation of marks shall be made in the following manner:-

(i) For the educational qualifications described in column-4, determination of marks to be given to the candidates shall be made by multiplying the percentage of marks obtained in the examination of the said courses by 0.75. Such as if 50% marks has been obtained by the candidates then 50x0.75=37.5 marks shall be given to him.

(ii) 5 marks for each working year maximum limit of which shall be 25 marks. For part of the year, proportionate marks will be added after multiplying the numbers of working days by 5 and then dividing it by 365.

3. Substitution of Rule 3(i) (iii) of the Bihar Animal and Fisheries Resources(Fisheries) Service Recruitment Rules 2007:-

Fisheries Development Officers /Junior Engineer.

4. Substitution of Rule 8 of The Bihar Animal and Fisheries Resources (Fisheries) Service Recruitment Rules, 2007:- Rule 8 of the said rules shall be substituted by the following:-

"8. Probation period indicated in Column 9 of the **Appendix-I** , shall be two years, which may be extended for a year for the reasons to be recorded in writing, if the service is not found satisfactory".

5. **Substitution of rule 9 of The Bihar Animal and Fisheries Resources (Fisheries) Service Recruitment Rules, 2007:-** Rule 9 of the said rules shall be substituted by the following:-

"9. Training period indicated in Column 10 of the **Appendix-I** shall determined by the department from time to time".

6. **Substitution of Rule 10 of The Bihar Animal and Fisheries Resources (Fisheries) Service Recruitment Rules, 2007:-** Rules 10 of the said rules shall be substitution by the following:-

"10. Subjects, syllabus and Procedure of the Departmental Examination for the direct recruitment to the posts mentioned in the Appendix-I of the Rules shall be determined in consultation with The Central Examination Committee, Board of Revenue, Bihar. Provisions of Column 11 of the Appendix-I related herewith shall accordingly be deemed to be automatically amended".

7. **Amendment of Appendix-I of the Bihar Animal and Fisheries Resources (Fisheries) Service Recruitment Rules, 2007:-** Appendix-I appended to the said Rules shall be amended in the following manner:-

(i) "**The District Fisheries Officer–cum-Chief Executive Officer/ Assistant Fisheries Director post described in column 2 of Sl. no. 4 of Appendix-I, shall be substituted by "The District Fisheries Officer-cum–Chief Executive Officer/Assistant Fisheries Director/Lecturer"**

(ii) In the **Appendix-I** Column 2 of Sl. no. 5 the post described as **Fisheries Extension Officer/Junior Research Fellow /shall be substituted by Fisheries Extension Officer/ Junior Research Fellow/ Junior Lecturer** . The description of column 7 **"Graduate Degree in Fisheries Science from any recognized University, or Two Years Post Graduate Diploma in Fisheries Science from Central Institute of Fisheries Education, Mumbai", shall be substituted by "Four Years Graduate Degree from Agriculture University recognized by Indian Council of Agriculture**

Research, New Delhi". "On the basis of Seniority-cum-Merit of post holders of the cadre of Fisheries Inspector, who have completed at least 3 (three) years period of fixed time limit Words described in column 17 shall be substituted by the words "On the basis of Seniority-cum-Merit of post holders of Fisheries Development Officer, who have completed Kalawdhi (Including the period spent on post of Fisheries Inspector & Fisheries Extension Supervisor as determined by General Administrative Department, from time to time.

(iii) The post of Sl. no. 6 and 7 of **Appendix-I** shall be merged and designated as "Fisheries Development Officer" after amalgamation description of which shall be in the following manner. :-

S. No.	Name of Cadre/posts	Number of posts	Pay scale	Commission on whose recommendation appointment is to be considered.	Minimum and Maximum age limit
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6	Fisheries Development Officer	No. of posts shall be same as determined by the administrative department from time to time	As decided by the Government from time to time	Bihar Staff Selection Commission or Bihar Technical Staff Selection Commission	Age limit determined by the State Government of Bihar

Minimum qualification for Direct Recruitment.	Appointment Authority	Probation Period	Training	Departmental Examination and syllabus
7	8	9	10	11
B.sc in Industrial Fish and Fisheries (Hons.) or B.sc. Aquaculture or M.Sc. (Zoology) (Special paper Fish) or one year Post Graduate Diploma in Inland Fisheries from Central Institute of Fisheries Education, Mumbai or one year certificate course in Fisheries Administration & Management from the centre of the Central Fisheries Education.	Director, Fisheries	Shall be of two years, which may be extended for a year for the reasons to be recorded in writing, if the service is not found satisfactory.	As determined the Department	As determined By the Central Examination Committee, Revenue Board, Bihar.

Departmental Promotion Committee	Posts of Promotion	Number of total posts	Pay Scale	Cadre Controlling Authority	Remark1's
12	13	14	15	16	17
Department Promotion Committee in which there will the following members:- 1. Director, Fisheries-Chairman. 2. Joint Director Fisheries (Research) Member	No of promotional posts shall be same as it is determined by the administrative	No of total posts shall be same as it is determined by the administrative department	As determined by the Government From time to time	Director Fisheries	

3. Joint Director Fisheries (SPU)-Member 4. An SC/ST officer not below the rank of Deputy Director-Member 5. Joint Director Fisheries (Headquarter) -Member -Secretary Note-Promotion will be considerable on the recommendation of the Departmental Promotion Committee.	department from time to time.	from time to time.			

<u>Explanation-</u> All employees working on the post of Fisheries Inspector and Fisheries Extension Supervisor, shall automatically be designated as the Fisheries Development Officer, on the date of commencement of these Rules.

(iv) S.N.-7 of **<u>Appendix-I</u>** is deleted.

After the amalgamation of SL.6 & 7 of Appendix I. SL. 7 is deleted

(v) Words "Head Clerk-cum-Accountant and Accountant' used in Column-2 of S.no. 19 of Appendix-I and shall be substituted by the words "Upper Division Clerk" and

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

संचिका सं0– म0 / स्था0अ0रा0(अ0)–01 / 2015– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, बिहार एतद् द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा में भर्त्ती / प्रोन्नति के विनियंत्रण के लिए गठित "बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा–भर्त्ती नियमावली, 2007" का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।** :– यह नियमावली "बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्त्ती (संशोधन) नियमावली 2020" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा–भर्त्ती नियमावली, 2007 के नियम–6 में संशोधन।**– उक्त नियमावली के नियम–6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

"6. भर्त्ती की प्रक्रिया– (1) **परिशिष्ट – I** के क्रम सं0– 5 एवं 6 पर अंकित पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु विभाग 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजेगा। तद्नुसार आयोग द्वारा विज्ञापन निर्गत किया जाएगा एवं निम्नरूपेण मेधा सूची तैयार किया जाएगा:–

(क) **परिशिष्ट – I** के क्रम सं0– 5 एवं 6 पर अंकित पदों के कंडिका– 7 में सीधी भर्त्ती हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यता के लिए प्राप्तांक :– 75 अंक

(ख) मत्स्य निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों अथवा बिहार सरकार के अन्तर्गत अन्य विभाग अथवा राज्य सरकार से सम्बद्ध कार्यालयों में कृषि एवं मत्स्य प्रक्षेत्र के कार्य हेतु अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मी को कार्यानुभव के आधार पर:– 25 अंक

(2) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति की शैक्षणिक अहर्त्ता एवं कार्यानुभव के लिए अंकों की गणना निम्नरूपेण की जाएंगी:–

(i) कॉलम– 4 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्सों की परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उन्हें 50X 0.75 = 37.5 अंक दिए जाएंगे।"

(ii) प्रत्येक कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंको की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या को 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा।

3. **बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा–भर्त्ती नियमावली, 2007 के नियम 3 (1) (iii) का प्रतिस्थापन** ।:–

उक्त नियमावली के **नियम 3 (1)(iii)** को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–
मत्स्य विकास पदाधिकारी / कनीय अभियन्ता ।

4. **बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा–भर्त्ती नियमावली, 2007 के नियम 8 का प्रतिस्थापन।** : – उक्त नियमावली के नियम–8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"8. "**परिशिष्ट – I** की कंडिका 9 में इंगित परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष होगी, जिसे यदि सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती हो तो, लिखित रूप में अभिलिखित किये जा सकने वाले कारणों से, एक अतिरिक्त वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।"

5. **बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा–भर्त्ती नियमावली, 2007 के नियम 9 का प्रतिस्थापन**।– उक्त नियमावली के नियम–9 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

"9. "**परिशिष्ट – I** के कंडिका 10 में इंगित प्रशिक्षण की अवधि विभाग द्वारा, समय–समय पर, अवधारित की जा सकेगी।"

6. **बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा–भर्त्ती नियमावली, 2007 के नियम–10 का प्रतिस्थापन**।– उक्त नियमावली के नियम–10 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

"**10.** "नियमावली के परिशिष्ट–I में उल्लिखित सीधी भर्त्ती के पदों के लिए विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का अवधारण, केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से, किया जाएगा। एतद्संबंधी परिशिष्ट–I के कॉलम–11 के प्रावधान, तदनुसार, स्वतः संशोधित समझे जाएंगे।"

7. बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा–भर्त्ती नियमावली, 2007 के परिशिष्ट – I का संशोधन। उक्त नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट–I में निम्नलिखित रीति से संशोधन किया जाएगा :–

(i) परिशिष्ट – I के क्रम सं0 04 के कॉलम–2 में अंकित पदों "जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सहायक मत्स्य निदेशक" को जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सहायक मत्स्य निदेशक/व्याख्याता द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) परिशिष्ट – I के क्रम सं0 05 के कॉलम–2 में अंकित पदों "मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/कनीय मत्स्य अनुसंधान पदाधिकारी को मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/कनीय मत्स्य अनुसंधान पदाधिकारी/कनीय व्याख्याता द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। परिशिष्ट – I के क्रम सं0 05 के कॉलम – 7 में अंकित "किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातक की डिग्री अथवा सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ फिशरीज एडुकेशन, मुम्बई से मत्स्य विज्ञान में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा" को "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत मात्स्यिकी महाविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में चार वर्षीय स्नातक डिग्री" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। क्रम सं0 05 के कॉलम– 17 में उल्लिखित शब्द "मत्स्य निरीक्षक संवर्ग के पदधारकों से वरीयता–सह–सुयोग्यता के आधार पर जिन्होंने कम से कम 03 वर्षों की निर्धारित कालावधि पूरी कर ली हो" शब्द "मत्स्य विकास पदाधिकारी संवर्ग के पदधारकों से वरीयता–सह–सुयोग्यता के आधार पर जिन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर, यथावधारित कालावधि (मत्स्य निरीक्षक एवं मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के पद पर बितायी गयी अवधि सहित) पूरी कर ली हो " द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(iii) परिशिष्ट – I के क्रम सं0– 6 एवं 7 के संवर्ग/पद का संविलयन कर, "मत्स्य विकास पदाधिकारी" पदनामित किया जाएगा, जिसका विवरण अगले पृष्ठ पर अंकित है :–

क्र0	संवर्ग/पद का नाम	पदो की संख्या	वेतनमान	आयोग जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
6.	मत्स्य विकास पदाधिकारी	स्वीकृत कुल पदों एवं पदोन्नति के पद के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश नियुक्ति अथवा प्रोन्नति हेतु मान्य होगा।	सरकार द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित	बिहार कर्मचारी चयन आयोग या बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग	बिहार सरकार द्वारा निर्धारित उम्र सीमा

सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यता	नियुक्ति प्राधिकार	परिवीक्षा अवधि	प्रशिक्षण	विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम
7	8	9	10	11
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. इण्डस्ट्रीयल फिश एण्ड फिशरीज (ऑनर्स) अथवा बी0एस0सी0 (एक्वाकल्चर) अथवा एम0एस0सी0, जन्तु विज्ञान (स्पेशल पेपर फिश)। अथवा केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई के केन्द्र से इनलैण्ड फिशरीज में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के केन्द्र से फिशरीज एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेन्ट में एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स।	निदेशक मत्स्य	2 वर्ष, जिसे सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर एक अतिरिक्त वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।	विभाग द्वारा यथा निर्धारित	केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा यथा निर्धारित

विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रोन्नति का पद	कुल पदो की संख्या	वेतनमान	संवर्ग नियंत्री प्राधिकार	अभ्युक्ति
12	13	14	15	16	17
विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी सदस्य होंगे। 1. मत्स्य निदेशक– अध्यक्ष 2. संयुक्त मत्स्य निदेशक (अनु0)–सदस्य 3. संयुक्त मत्स्य निदेशक (रा0प0ई0) –सदस्य 4. अनु0 जाति/जनजाति के एक पदाधिकारी जो उप मत्स्य निदेशक से न्यून स्तर के न हों– सदस्य 5. संयुक्त मत्स्य निदेशक (मु0) –सदस्य सचिव नोटः– विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगी।	स्वीकृत कुल पदों एवं पदोन्नति के पद के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश नियुक्ति अथवा प्रोन्नति हेतु मान्य होगा।	स्वीकृत कुल पदों एवं पदोन्नति के पद के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश नियुक्ति अथवा प्रोन्नति हेतु मान्य होगा।	सरकार द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित	निदेशक मत्स्य	

स्पष्टीकरण। इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को मत्स्य निरीक्षक एवं मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत सभी कर्मी स्वतः मत्स्य विकास पदाधिकारी पदनामित किये जाएंगे।

(iv) परिशिष्ट – I के क्रम सं0– 6 एंव 7 के संविलयनोपरान्त, क्रम संख्या 07 को विलोपित किया जाता है।

(v) परिशिष्ट – I के क्रम सं0–19 के कॉलम–2 में प्रयुक्त शब्द "प्रधान लिपिक–सह–लेखापाल एवं लेखापाल" शब्द को "उच्च वर्गीय लिपिक" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

(vi) परिशिष्ट – I के क्रम सं0–5 से 13 एवं 16 से 20 तक कॉलम–8 में प्रयुक्त शब्द "पशु पालन एवं मत्स्य विभाग" शब्द "निदेशक मत्स्य" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

(vii) परिशिष्ट – I के क्रम सं0–1 से 20 तक वर्णित पदों के वेतनमान् संबंधित कॉलम 4 को विलोपित किया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा:–

"परिशिष्ट–I में वर्णित पदों का "वेतनमान् / वेतन स्तर वही होगा, जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, अवधारित किया जाय।"

(viii) परिशिष्ट – I के क्रम सं0–1 से 20 तक वर्णित पदों के संख्या से संबंधित कॉलम 3, 13 और 14 को विलोपित किया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा:–

स्वीकृत कुल पदों एवं पदोन्नति के पद के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश नियुक्ति अथवा प्रोन्नति हेतु मान्य होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा0 एन. सरवण कुमार)
सरकार के सचिव

(vi) The words "Animal Husbandry and Fisheries Department" used in Column 8 of S.N.-5 to 13 and 16 of **Appendix-I** shall be substituted by the words "Director Fisheries".

(vii) The scale mentioned in the Column 4 relating to the Pay scale of the Posts described in S.N.-1 to 20 of **Appendix-I** shall be deleted and shall be substituted by the following sentences:-

"Pay Scale/Pay level of all the posts and no. of posts described in Appendix-I shall be same as it determined by the administrative department from time to time".

(viii) The nos. mentioned in column no. 3, 13 & 14 of the posts described in s. no. 1 to 20 of **Appendix-I** shall be deleted and substituted by the following sentences:-

"Pay Scale/Pay level of all the posts and no. of posts described in Appendix-I shall be same as it determined by the administrative department from time to time".

By the Order of Governor of Bihar

(Dr. N. Saravana Kumar)
Secretary to the Government

ज्ञापांक – म0 / स्था0अ0रा0(अ0)–01 / 2015–　　　　　/ पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार पटना / ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, पटना को अधिसूचना की सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी (दो प्रति) हिन्दी एवं अंग्रेजी में संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 / –

सरकार के सचिव

ज्ञापांक – म0 / स्था0अ0रा0(अ0)–01 / 2015–　　　　　/ पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना / संयुक्त मत्स्य निदेशक, सभी / उप मत्स्य निदेशक, सभी / जिला मत्स्य पदाधिकार–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सभी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस आदेश की सूचना अपने अधीनस्थ कार्यालयो को अपने स्तर से देने की कृपा की जाए ।

ह0 / –

सरकार के सचिव

ज्ञापांक – म0 / स्था0अ0रा0(अ0)–01 / 2015– 737　　　　　/ पटना–15, दिनांक– 26/06/2020

प्रतिलिपि :– विभागीय आई0टी0 मैनेजर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव